

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा०म० कैमूर-03/14- (6)/रा०, पटना-15, दिनांक- / /2014
सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.07.2014 के मद संख्या-37 में दी गई स्वीकृति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं०-10516/2007 में दिये गये न्याय निर्णय एवं उससे उद्भूत एम० जे० सी० नं०-2197/2009 में दिनांक-15.05.2014 एवं दिनांक-24.06.2014 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्र सं०-4725/रा० दि०-16.08.1972 की कंडिका 2 (छ) को विषयगत मामले में शिथिल करते हुए कैमूर जिलान्तर्गत नुआँव अंचल के मौजा-कन्हुआँ थाना नं०-342, खाता संख्या-151, खेसरा संख्या-209, रकबा-0.83 एकड़ (तेरासी डी०) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म घनहर भूमि सैनिक, सुरेश कुमार सिंह, पिता-स्व० शिवपूजन सिंह, सा० कन्हुआँ के साथ मात्र कृषि प्रयोजन हेतु 20/= रुपये प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर बन्दोबस्ती इस शर्त के साथ किया जाय कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर पुनर्विचार आवेदन 154/2014 में पारित आदेश अथवा इसके विरुद्ध वरीय न्यायालय में पारित होने वाले निर्णय से यह बन्दोबस्ती आदेश प्रभावी होगा।

आदेश : स्वीकृत।

1. सी० डब्लू० जे० सी० नं०-10516/2007 सुरेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.04.2009 को पारित न्यायादेश जिसमें सैनिक, सुरेश कुमार सिंह के साथ 1.63 एकड़ भूमि बंदोबस्त किये जाने का आदेश दिया गया था, के पूर्णतः अनुपालन के क्रम में बंदोबस्ती की यह स्वीकृति पूर्व में विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक 318 (6)/रा० दिनांक 05.03.2013 से सैनिक, श्री सुरेश कुमार सिंह के साथ बंदोबस्त 0.80 एकड़ (80डी०) भूमि के अतिरिक्त होगा।

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त बंदोबस्त भूमि का हस्तान्तरण एवं बिक्री किसी अन्य के साथ अनुमान्य नहीं होगा।

4. अन्य शर्तें खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

5. इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

कृ०पृ०३०

निबंधित
डाक से

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2014
प्रतिलिपि:-समाहर्ता, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल
अभिलेख संख्या-12/03-04 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2014
प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को उनके कार्यालय पत्रांक-878
/रा0 दिनांक-18.06.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2014
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2014
प्रतिलिपि:-सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- / /2014
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, प्रशाखा-8, बिहार, पटना/राजस्व विभागीय प्रशाखा-6/गार्ड
फाईल, प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0म0 कैमूर-03/14- 590 (6)/रा0, पटना-15, दिनांक- 17 / 7 /2014
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, को वेब-साइट पर इसे
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(उमेश सिंह)

सरकार के उप सचिव।